MJC - Semester II

B. Com ~~Part~~ - II Semester (1)

Business organization and Management

Company

Q:— सार्वजनिक कम्पनी एवं निजी कम्पनी में क्या अन्तर है।

Ans— सार्वजनिक कम्पनी एवं निजी कम्पनी में अन्तर जानने से पहले सार्वजनिक कम्पनी एवं निजी कम्पनी के बारे में जान लेना आवश्यक है।

निजी कम्पनी — Private Company — निजी कम्पनी एक ऐसी कम्पनी होती है, जिसकी प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपये या इससे अधिक होती है। निजी कम्पनी में कम से कम दो और अधिकतम पचास सदस्यों का ऐच्छिक संगठन है जिनका दायित्व सीमित होता है जिनके शेयरों का विभाजन इसके सदस्यों तक सीमित रहता है। जो साधारण जनता को इसके शेयर या डिबेन्चरों का ग्राहक बनने के लिए आमंत्रित करती है।

कम्पनी अधिनियम-2013 के अनुसार निजी कम्पनी में कम से कम 2 तथा अधिकतम 200 व्यक्तियों तक सदस्य हो सकते हैं। निजी कम्पनी को अपने नाम के साथ में Private Limited शब्द लिखना अनिवार्य है।

सार्वजनिक कम्पनी — Public Company — सार्वजनिक कम्पनी एक ऐसी कम्पनी होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपये या इससे अधिक होती है। एक सार्वजनिक कम्पनी को अपने shares के क्रय के लिए Public को आमंत्रण देना पड़ता है। एक सार्वजनिक कम्पनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 तथा अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक कम्पनी को अपने नाम के साथ में Limited शब्द लिखना अनिवार्य है।

निजी कम्पनी तथा सार्वजनिक कम्पनियों में निम्न अन्तर है-

अन्तर का आधार	निजी कम्पनी	सार्वजनिक कम्पनी
1- न्यूनतम पूंजी	निजी कम्पनी में कम से कम एक लाख पूंजी की आवश्यकता होती है।	सार्वजनिक कम्पनी में पाँच लाख रुपये होनी चाहिये।
2- सदस्यों की संख्या	निजी कम्पनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या दो तथा अधिकतम 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए।	सार्वजनिक कम्पनी में न्यूनतम सात सदस्य होने चाहिए जबकि अधिकतम सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
3- शेयर का हस्तांतरण	निजी कम्पनी के शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है।	इसके विपरीत सार्वजनिक कम्पनी के शेयर हस्तांतरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है।
4- व्यवसाय का प्रारम्भ	निजी कम्पनी ~~को व्यवसाय~~ समामेलन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते ही व्यवसाय प्रारम्भ कर सकती है।	सार्वजनिक कम्पनी को व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए समामेलन प्रमाणपत्र के साथ-साथ व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना होगा।
5- लिमिटेड शब्द का प्रयोग	निजी कम्पनी को अपने नाम के ~~आगे~~ साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है।	सार्वजनिक कम्पनी को लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है।

classmate
Date
Page

अन्तर का आधार	निजी कम्पनी	सार्वजनिक कम्पनी
6- अंशों का आवंटन व अंश अधिपत्र	निजी कम्पनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात अपने अंशों का आवंटन कर सकती है तथा अंश अधिपत्र निर्गमित नहीं कर सकती है।	सार्वजनिक कम्पनी को समामेलन का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के साथ-न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना आवश्यक है और वह अपने पूर्णदत्त अंशों के बदले अंश अधिपत्र निर्गमित कर सकती है।
7- प्रबंधकीय पारिश्रमिक	निजी कम्पनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक देने के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा लागू नहीं होती।	जबकि सार्वजनिक कम्पनी में शुद्ध लाभ के 11 प्रतिशत से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दे सकते।

x ——————— x ——————— x

Dr. Raj Kumar Prasad
Deptt. of Commerce
Sher-Shah College
SASHRAM